रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 341] नई दिल्ली, बुधवार, मई 3, 2017/वैशाख 13, 1939
No. 341] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 3, 2017/VAISAKHA 13, 1939

lM+d ifjogu vkSj jktekxZ ea=ky;

vf/klwpuk

नई दिल्ली, 3 मई, 2017

lk-dk-fu- 431(v)—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संषोधन करने के लिए, कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाषित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में जिसमें यह अधिसूचना प्रकाषित की गई थी, की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पन्द्रह दिन की अवधि की समाप्ति के पष्चात् विचार किया जाएगा;

2. इन प्रारूप नियमों पर, आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 को भेजे जा सकेंगे।

3. केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों की बाबत् ऐसे किन्ही आक्षेपों और सुझावों पर, जो किसी व्यक्ति से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, विचार किया जाएगा।

izk:Ik fu;e

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (संषोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाषन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989, (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, नियम 47 में, उप–नियम (1) में, खंड (i) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :–

(i) ''(iक) नियम 138क में विनिर्दिष्ट फास्टैग लगाने का सबूत;''

3. मूल नियम में, नियम 138क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

''138क. फास्टैग का लगाना – (1) 1 जुलाई, 2017 को और उसके पश्चात् विनिर्मित प्रवर्ग एम और प्रवर्ग एन मोटर यानों में यथा निर्दिष्ट ऐसे फास्टैग लगे होंगे जिनमें ऐसे विनिर्देष होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिदिष्ट किए जाएं।

परन्तु कोई यान जो ड्राइव–एवे–चेसिस के रूप में विंडस्क्रीन के बिना बेचा जाता है, के मामले में फास्टैग को ऐसे विंडस्क्रीन उपलब्ध कराने के समय डीलर द्वारा विंडस्क्रीन में लगाया जाएगा।

(2) फास्टैग लगे होने का सत्यापन रजिस्ट्रीकरण के समय रजिस्ट्रीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

Li"Vhdj.k% इस नियम के प्रयोजनों के लिए, फास्टैग से किसी ऑन बोर्ड यूनिट (ट्रांसपोंडर) या यानों के सामने वाली विंडस्क्रीन पर लगी ऐसी कोई युक्ति अभिप्रेत है।

[फा. सं. आर.टी.–11028/16/2011–एम.वी.एल.]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

fVIi.k% मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखण्ड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 02 जून, 1989 द्वारा प्रकाषित किए गए थे और अन्तिम बार सा.का.नि. (अ), तारीख द्वारा संषोधित किए गये।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2017

G.S.R. 431(E).—The following draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after expiry of a period of fifteen days from the date on which the copies of the Gazette of India containing the notification are made available to the public.

2. The objections or suggestions, if any to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, New Delhi-110 001.

3. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid shall be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (__ Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 47, in sub-rule (1), after clause (i), the following clause shall be inserted, namely:-

"(*ia*) proof of fitment of FASTag specified in rule 138A;".

3. In the principal rules, for the rule 138A, the following rule shall be substituted, namely:-

"138A. Fitment of FASTag.- (1) Categories M and N motor vehicles manufactured on and after the 1st July, 2017, shall be fitted with FASTag having such specifications as may be specified by the Central Government:

Provided that in case of any vehicle which is sold in the form of drive-away-chassis without windscreen, such FASTag shall be fitted in the windscreen by the dealer at the time of providing such windscreen.

(2) The fitment of FASTag shall be verified by the registering authority at the time of registration.

Explanation – For the purposes of this rule, FASTag means an onboard unit (transponder) or any such device fitted on the front windscreen of the vehicle.

[F. No. RT-11028/16/2011-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number G.S.R. (E) dated .

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.05.03 22:37:54 +05'30'